'अमृतकाल के लिए मील का पत्थर बजट'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष निर्वाचित सरकार की आवाज को दबाने की कर रहा कोशिश

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोक सभा में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 को अमृतकाल के लिए मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों से किए गए वादों की गारंटी को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और आरोप लगाया कि विपक्ष निर्वाचित सरकार और प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। लोक सभा में 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की थी और इस पर विरोध जताया था कि मणिपुर के दो सांसदों को बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।

मोदी ने कहा, 'आपने इस लोक सभा के पहले सत्र में देखा होगा कि जिस सरकार को 140 करोड़ भारतीयों ने सेवा करने के लिए चुना है, उसकी आवाज को दबाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। करीब ढाई घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और इस प्रकार की चीजों का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं है। उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है।'

बजट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह बजट मौजूदा सरकार की अगले पांच वर्षों की दिशा निर्धारित करेगा। साथ ही यह बजट भारत की आजादी के सौ साल पूरे होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मजबूत बुनियाद रहेगा।'

मोदी ने कहा कि देश में करीब 60 साल बाद कोई सरकार लगातार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी औसत वृद्धि दर 8 फीसदी रही है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिदृश्य, निवेश में सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन का मतलब साफ है कि अवसर अपने चरम पर हैं और यह भारत की विकास यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। लोक सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने सदन में बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय आवंटित किया है।

बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री फोटो-पीटीआई

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी 2024 से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा लड़ी गई चुनावी लड़ाइयों की धूल के गुबार अब छंट चुके हैं। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि अब जनवरी 2029 तक संसद में विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। मोदी ने कहा, 'भले ही हमने अपनी-अपनी पार्टियों के लिए चुनावी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि अगले पांच साल तक हमें देश के लिए लड़ना है और उसके लिए प्रयास करना है।' उन्होंने कहा, 'जनवरी 2029 में चुनाव के मैदान में जाएं। मगर तब तक हमारी एकमात्र प्राथमिकता देश, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा होनी चाहिए।'

मोदी ने कहा कि विपक्ष का नकारात्मक रवैया सांसदों को अपने विचार व्यक्त करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने से रोकता है। उन्होंने कहा, 'जनता ने हमें यहां देश के लिए भेजा है न कि दल के लिए। यह संसद किसी दल या पार्टी की नहीं बल्कि देश की है। यह संसद केवल सांसदों तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है।'

इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने 10 साल तक देश का गला घोंटा और उसकी आवाज को दबाया, वह आज 'बहुत कमजोर और विपक्ष द्वारा आवाज उठाए जाने पर रोता हुआ' दिखाई दे रहा था। लोक सभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को नीट मुद्दे, जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों और बढ़ती महंगाई पर सवालों का जवाब देना चाहिए।

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर विपक्ष के हमले का नेतृत्व करते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली में गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए खुद के अलावा अन्य सभी को दोषी ठहराया है।

विपक्ष के निशाने पर आए प्रधान ने कहा कि वह 'अपने नेता यानी प्रधानमंत्री की कृपा से यहां हैं' और उनकी सरकार सामूहिक रूप से जवाबदेह है। मंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों के दौरान पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है।

कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं मोदी: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाकर इन कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने वाले 1966 के आदेश को बदल दिया है। **भाषा**

पुंज लॉयड लिमिटेड (परिसमापन में)
संपत्तियों की बिक्री का प्रस्ताव

पुंज लॉयड लिमिटेड ("कंपनी") का परिसमापक लिनाट्रॉन एमआई 6 यूएलएलपी ("फुल बॉडी ट्रक स्कैनर सिस्टम" या "सम्पत्तियों") की तीन यूनिट की बिक्री के लिए इच्छुक एजेंसियों / बोलीदाता से कोटेशन आमंत्रित करता है।

कंपनी द्वारा बॉर्डर चेकपाईंट पर गृह मंत्रालय ("एमएचए") के लिए एक परियोजना को निष्पादित करने के लिए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। तथापि, कुछ मुद्दों के कारण, गृह मंत्रालय द्वारा संविदा समाप्त कर दी गई थी और तदनुसार, कंपनी की स्टेकहोल्डरों की परामर्श समिति (एससीसी) ने परिसमापक को इन परिसंपत्तियों को निजी बिक्री के माध्यम से बेचने की सलाह दी थी।

संपत्तियों की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अन्य प्रासंगिक विवरण, नियम और शर्तें, एजेंसियों / बोलीदाताओं को गोपनीयता वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर एजेंसियों / बोलीदाताओं के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ LQ.Punj@in.gt.com पर ईमेल द्वारा प्रदान की जाएंगी। गोपनीयता वचनबद्धता का खाका कंपनी की वेबसाइट http://www.punjlloydgroup.com/liquidation-documents से डाउनलोड किया जा सकता है।

नियमों और शर्तों के अनुपालन में बिक्री के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 08 अगस्त 2024, 18:00 बजे होगी।

कृपया किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर श्री अश्विनी मेहरा, LQ.Punj@in.gt.com या mehra.ashwini@gmail.com या श्री सुरेंद्र राज गंग, Surendra.Raj@in.gt.com (जीटी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, आईपीई के प्रतिनिधि, परिसमापक के पेशेवर सलाहकार के रूप में नियुक्त) से संपर्क करने में संकोच न करें।

हस्ता/-
अश्विनी मेहरा, परिसमापक
(पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00388/2017-18/10706)
पुंज लॉयड लिमिटेड - परिसमापन में
असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण -30 जून 2025 तक वैध
पत्राचार पता: श्री अश्विनी मेहरा, परिसमापक
पुंज लॉयड लिमिटेड
सी/ओ श्री सुरेन्द्र राज गंग
जीटी रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी
एल-41, कनॉट सर्कस नई दिल्ली - 110001
ई: LQ.Punj@in.gt.com

दिनांक: 23.07.2024
स्थान: नई दिल्ली

नाम पर शीर्ष अदालत की अंतरिम रोक

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी उन निर्देशों पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकारों के इन निर्देशों का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी के पीठ ने उत्तर प्रदेश,

उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया और उनसे निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर निगम ने भी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का शनिवार को निर्देश दिया था।

पीठ ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने के साथ ही कहा कि भोजनालयों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक किया जा सकता है कि वे किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी। पीठ ने इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। **भाषा**

नीट: विशेषज्ञों की टीम एक प्रश्न हल कर अदालत को रिपोर्ट देगी

उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी 2024' से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू की और आईआईटी-दिल्ली के निदेशक से तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो इस परीक्षा में पूछे गए एक विशेष प्रश्न पर विचार करेगी और मंगलवार दोपहर तक सही उत्तर पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।

शीर्ष अदालत ने कुछ अभ्यर्थियों की उस दलील पर गौर किया कि परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे और परीक्षार्थियों के एक समूह, जिन्होंने दो सही उत्तरों में से एक विशेष उत्तर दिया था, उन्हें चार अंक दिए गए।

याचियों ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ के समक्ष दलील दी कि इसका सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पीठ विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। **भाषा**

BUDGET INSIGHT OUT 2024-25 THE INDIA STORY

The Budget
is set to write the next chapter
in the India story.

With a laser focus on 'Viksit Bharat', **the Budget** is expected to prioritise youth, women, farmers, and the underprivileged.

Follow the Budget, **Insight Out,** all day only on **business-standard.com**

- **Live blogs,** real-time analysis, expert opinions, and in-depth sectoral breakdowns
- **Budget with BS** special episode featuring Editorial Director A K Bhattacharya and Editor Shailesh Dobhal in conversation
- Insights from **leading industrialists and market gurus** like Claude Smadja, Rajiv Memani, Kumar Mangalam Birla, Cyril Shroff, Arundhati Bhattacharya, Zarin Daruwala, and more
- Expert opinions from finest **columnists** like Ajay Shah, Akash Prakash, M Govinda Rao, and more
- Analysis of the Budget's **impact on key stocks,** in partnership with EY
- **Special coverage** on the Budget's impact on the stock market, in association with PWC
- **Data stories** on key economic areas in comparison to previous years' Budget

50 years of covering the India story.

Don't miss our **Budget edition** tomorrow. To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard 50 Years of Insight

businessstandard bsindia business.standard business-standard business-standard.com